BSES

बीएसईएस के नाम पर ठगी करने वाले तीन पकड़े

मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर, दो उपभोक्ताओं पर किया 4. 5 लाख का फर्जी जुर्माना

नई दिल्लीः 29 सितंबर, 2008। बीएसईएस के नाम पर सीधे–सादे बिजली उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बनाने वाले तीन ठगों को गिरफ्तार कर, दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ठगों ने दो अलग– अलग मामलों में उपभोक्ताओं पर कुल 4. 5 लाख रूपये का फर्जी जुर्माना किया और भारी रकम ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उपभोक्ताओं ने सूझ– बूझ दिखाई और बीएसईएस से संपर्क कर, कंपनी को इस बारे में बता दिया। उपभोक्ताओं से मिली जानकारी व सहयोग की बदौलत, बीएसईएस के नाम पर ठगी करने वाले इन तीनों असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी संभव हो सकी है। एक मामला बदरपुर का है, जबकि दूसरा द्वारका का। गौरतलब है कि बीएसईएस ने अपने नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं और इस सिलसिले में, अब तक 70 ठगों को पकडा जा चुका है।

ठगों ने बदरपुर के डॉ कमरूल हौदा पर किया 2.5 लाख का जुर्माना

बदरपुर के जैतपुर निवासी डॉ कमरूल हौदा के घर दो लोग गए और खुद को बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम का अधिकारी बताया। दोनों ठगों ने उपभोक्ता के बिजली मीटर की जांच की और कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और इस कारण, उपभोक्ता पर 2. 5 लाख रूपये का जुर्मान किया जा रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने "मामले को सेटल" करने का भी उपभोक्ता को ऑफर दिया।

उपभोक्ता ने फर्जी बीएसईएस कर्मियों से थोड़ा सोचने का वक्त मांगा और अगले दिन कालकाजी स्थित अग्रवाल स्वीट्स के पास मिलने का समय तय हुआ। इस बीच, उपभोक्ता ने बीएसईएस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया और पूरी कहानी बताई। वहां बीएसईएस अधिकारियों ने डॉ कमरूल हौदा को सलाह दी कि वह अपने प्लान के मुताबिक फर्जी बीएसईएस कर्मियों से मिलें और थोड़ी देर उन्हें बातों में लगाए रखें। मुलाकात के तय समय से पहले ही बीएसईएस का एक उड़नदस्ता वहां पहुंच गया और उनका इंतजार करने लगा। जैसे ही फर्जी बीएसईएस कर्मी वहां पहुंचे, उन्हें रंगों हाथों पकड़ लिया गया। बीएसईएस कर्मी होने का नाटक कर सीधे–सादे उपभोक्ताओं से वसूली करने वाले गोपाल और मनीष कुमार को पकड़कर, तत्काल दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ ही, उपभोक्ता की ओर से पुलिस को एक लिखित शिकायत भी दी गई है, ताकि पुलिस आगे की कार्रवाई की जा सके।

असामाजिक तत्वों ने द्वारका के कृष्ण कुमार पर किया 2 लाख का जुर्माना

गोयल नाम का एक व्यक्ति द्वारका निवासी कृष्ण कुमार के घर गया और खुद को बीएसईएस अधिकारी बताया। उसने उपभोक्ता के मीटर की जांच की और कहा कि उपभोक्ता ने बिजली मीटर से छेड़छाड़ की है। ताकि किसी को भी उस पर शक न हो, इसलिए ठग ने उपभोक्ता के मीटर पर एक नोटिस भी चिपका दिया।

एक दिन बाद गोयल फिर उपभोक्ता के घर गया और उसे डराने की कोशिश की। उस ने कहा कि मीटर से छेड़छाड़ के जुर्म में उपभोक्ता पर 2 लाख रूपये का जुर्माना किया जा रहा है। लेकिन साथ ही, उसने उपभोक्ता को "मामले को सेंटल" करने की भी सलाह दी और कहा कि यदि वह गोयल को 20 हजार रूपये दे देता है, तो उसके खिलाफ मीटर से छेड़छाड़ के मामले को खत्म कर दिया जाएगा। बात पक्की हो गई थी। अगले दिन गोयल ने शिवकुमार नामक एक व्यक्ति को उपभोक्ता से 20 हजार रूपये लेने भेजा। लेकिन तब तक उपभोक्ता को लगा कि दाल में कुछ काला है। उसने शिवकुमार को बातों में फंसाए रखा और तुरंत बीएसईएस हेल्पलाइन पर फोन कर दिया। मिनटों में बीएसईएस का एक उड़न दस्ता मौके पर पहुंच गया और उसने शिवकुमार को धर दबोचा। उपभोक्ता की ओर से एक लिखित शिकायत के साथ, शिवकुमार को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

पूछताछ के दौरान शिवकुमार ने बताया कि वह और गयोल ठग है और उसका बीएसईएस से कोई लेना–देना नहीं है। उसने यह भी बताया कि हाल के दिनों में उन लोगों ने तीन उपभोक्ताओं को अपना शिकार बनाया है, जिनमें दो द्वारका के थे और एक जनकपुरी का। इस बीच, शिवकुमार के साथी की तलाश जारी है।

बीएसईएस की सलाह

बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को सलाह देती है कि वे ऐसे तत्वों से सावधान रहें, जो गलत तरीके से पैसे बनाने के चक्कर में कंपनी की छवि खराब रहे हैं। उपभोक्ता ऐसे लोगों की धमकियों या आश्वासनों में न आएं और कारण चाहे कुछ भी हो, किसी को भी पैसे न दें। सभी तरह के एन्फोर्समेंट (जुर्माना आदि) व कमर्शल भुगतान सिर्फ बीएसईएस ऑफिसों में ही किए जाने चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति आप के घर/ ऑफिस आकर खुद को बीएसईएस कर्मचारी बताता है, तो सबसे पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। पहचान पत्र सही है, इसके लिए व्यक्ति के पहचान पत्र पर इन चीजों को चेक करें– 1. बीएसईए लोगो, 2. बीएसईएस होलोग्राम, 3. पहचानपत्र रखने वाले की फोटो, 4. जारी करने की तारीख और वैधता, 5. पहचान पत्र रखने वाले, और अधोहस्ताक्षरी के दस्तखत, 6. एंप्लॉई/ पहचान पत्र संख्या, 7. ठेकेदार का नाम/ लोगो/पता, 8. पहचान पत्र का लेमिनेशन। बीएसईएस प्रवक्ता की सलाह है कि जैसे ही उपभोक्ता को शक हो, उसे तुरंत बीएसईएस के हेल्पलाइन नंबरों 39999808 और 39999707 पर फोन कर इस बारे में बताना चाहिए या फिस स्थानीय पुलिस को जानकारी देनी चाहिए।